इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 जनवरी 2015—पौष 23, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2015

क्र. एफ-ए-6-बी-11-2001-1-पांच (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी-कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 12 में, उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(4) चयन सूची, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी, जो आयोग की सहमति से छह मास की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी".

2. नियम 12-क में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"वाणिज्यिक कर निरीक्षक और कराधान सहायक के पद पर लिपिक वर्गीय सेवा से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती";

(दो) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) अनुसूची पांच में वर्णित स्कीम के अनुसार, आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वाणिज्यिक कर निरीक्षक और कराधान सहायक के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित एजेंसी के माध्यम से प्रतिवर्ष, ऐसी तारीखों और ऐसे स्थानों पर जैसी कि "नियुक्ति प्राधिकारी" या अवधारित की गई एजेंसी अवधारित करे, एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी.".

3. अनुसूची-एक, अनुसूची-दो, अनुसूची-तीन और अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं अर्थात्:—

"अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	वेतनमान	सेवा का नाम तथा वर्गीकरण	पदों की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	5200-20200+ ग्रेड वेतन 2800/-	मध्यप्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)	534
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	9300-34800+ ग्रेड वेतन 3600/-	मध्यप्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)	1
3	कराधान सहायक	5200-20200+ ग्रेड वेतन 2800/-	मध्यप्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)	488
4	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800+ ग्रेड वेतन 3200/-	मध्यप्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)	18

अनुसूची—दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

प्रशासकीय विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद/संवर्ग का नाम	पद/संवर्ग की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता		
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृंद से चयन द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर विभाग	मध्यप्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	534	75 प्रतिशत	-	25 प्रतिशत
		सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	-	100 प्रतिशत	-
		कराधान सहायक	488	75 प्रतिशत	-	25 प्रतिशत
		सहायक प्रोग्रामर	18	100 प्रतिशत	-	-

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित आयु तथा अर्हता

प्रशासकीय विभाग का नाम	सेवा का नाम	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	आवश्यक शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्यिक कर विभाग	मध्यप्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक.
		कराधान सहायक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से वाणिज्य में स्नातक.
		सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से बी सी ए या सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर साइंस में स्नातक उपाधि.

अनुसूची—चार

[नियम 6(1) और नियम 14 देखिए]

प्रशासकीय विभाग/सेवा का नाम (1)	पद/संवर्ग का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है (2)	पद/संवर्ग का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है (3)	पदोन्नति हेतु न्यूनतम अनुभव (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (5)	
वाणिज्यिक कर विभाग/ मध्यप्रदेश अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक).	वाणिज्यिक कर निरीक्षक.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.	5 वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य.	—अध्यक्ष
	कराधान सहायक	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी.	5 वर्ष	2. प्रमुख सचिव/सचिव वाणिज्यिक कर.	—सचिव
				3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश.	—सदस्य
				4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि या समान प्रवर्ग का कोई अधिकारी.	—सदस्य
	संगणक (कम्प्यूटर).	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	5 वर्ष	1. अपर आयुक्त (प्रशासन)	—अध्यक्ष
				2. उपायुक्त (मुख्यालय)	—सचिव
				3. सहायक आयुक्त (मुख्यालय)	—सदस्य
				4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि या समान प्रवर्ग का कोई अधिकारी.	—सदस्य.".

4. (एक) अनुसूची-पांच में, स्कीम के अधीन, खण्ड 4 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"4. **परीक्षा**—(क) लिखित परीक्षा, राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की गई एजेंसी के माध्यम से प्रतिवर्ष ऐसी तारीखों तथा स्थानों पर संचालित की जाएगी जैसी कि नियुक्ति प्राधिकारी या प्राधिकृत एजेंसी अवधारित करे;

(ख) लिखित परीक्षा में 2:30 घन्टे की अवधि के लिए दो प्रश्न-पत्र होंगे, प्रत्येक 100 अंकों का होगा. परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे;

(ग) प्रश्न पत्र राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा तैयार किए जाएंगे."

प्रथम प्रश्न पत्र

सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी तथा प्रारंभिक गणित

द्वितीय प्रश्न पत्र

(1) शासकीय सेवा के सामान्य नियम.

(2) विभाग में प्रयुक्त विभिन्न अधिनियमों, प्रचलित नियमों, विनियमों तथा शब्दावली का ज्ञान.

(3) विभाग के कार्यकरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों, उपविधियों मेन्युअल (निर्देशिका) आदि का ज्ञान.

(4) प्रश्न पत्र के लिए पाठ्यक्रम के ब्यौरे संलग्न उपाबंध में लिखित हैं. परीक्षा में केवल वस्तुपूरक प्रश्न होंगे.

(5) अभ्यर्थी, जो उपरोक्त पैरा 2 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं पूरी करते हों, परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे. राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित एजेंसी उन अभ्यर्थियों से, जो परीक्षा में प्रवेश लेने की वांछा रखते हैं, परीक्षा के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम एक मास पूर्व आवेदन आमंत्रित करेगी. अभ्यर्थी को, जो परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र पाए जाते हैं, परीक्षा की तारीख, स्थान तथा समय आदि के बारे में सूचित किया जाएगा.

(6) उत्तर पुस्तिकाएं राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित एजेंसी द्वारा या राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित की जाएंगी.

(7) ऐसे अभ्यर्थियों की सूची, जिन्होंने प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित एजेंसी द्वारा या राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा तैयार की जाएगी. चयन सूची इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी, जिसे राज्य सरकार की सहमति से छह मास की कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा;

(दो) खण्ड (5) में, उपखण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(2) प्रत्येक वर्ष की चरित्रावली के लिए 40 अंकों में से प्रत्येक अभ्यर्थी को नीचे दर्शाए गए अनुसार अंक दिए जाएंगे:—

उत्कृष्ट	:	40
बहुत अच्छा	:	30
अच्छा	:	20
औसत	:	10";

(तीन) विद्यमान उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

प्रश्न पत्र—1

अधिकतम अंक 100

(1) सामान्य ज्ञान:— **(30 अंक)**

सामयिक घटनाओं, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, सुसंगत घटनाएं तथा मध्यप्रदेश राज्य के बारे में सामान्य जानकारी पर वस्तुपूरक प्रश्न.

(2) सामान्य हिन्दी:— **(30 अंक)**

हाई स्कूल स्तर तक की सामान्य हिन्दी व्याकरण पर सामान्य शब्दों तथा आनुकल्पिकों के अर्थ और उसके उपयोजन पर वस्तुपूरक प्रश्न.

(3) प्रारम्भिक गणित:— **(40 अंक)**

गुणा, भाग, दशमलव प्रणाली, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयत तथा अनुपात, परिमाण के वस्तुपूरक प्रश्न.

प्रश्न पत्र—2

अधिकतम अंक 100

(1) शासकीय सेवा के नियमों से संबंधित सामान्य ज्ञान:— **(40 अंक)**

वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, भर्ती नियमों, आचरण नियमों के बारे में ज्ञान पर वस्तुपूरक प्रश्न.

(2) विभाग में प्रयोग में आने वाले शब्दों तथा परिभाषिकी का ज्ञान:— **(20 अंक)**

विभाग में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्द जिनका विभाग में विशिष्ट अर्थ है और ऐसे शब्दों का ज्ञान जो विभाग के लिए आवश्यक है, उन पर वस्तुपूरक प्रश्न.

(3) विभाग से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का ज्ञानः— **(40 अंक)**

विभिन्न अधिनियमों तथा नियमों आदि की जानकारी, जिनसे विभाग का कार्य संपादित किया जाता है उन पर वस्तुपूरक प्रश्न.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2015

क्र. एफ. ए-6-बी-11-2001-1-पांच (01).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-6-बी-11-2001-1-पांच (01), दिनांक 13 जनवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th January 2015

No. F-A-6-B-11-2001-1-V(1).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Commercial Tax Department Sub-ordinate Taxation Service (Class III-Executive) Recruitment Rules, 2007, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 12, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) The selection list shall be valid for a period of one year from the date of its issue by the Madhya Pradesh Public Service Commission, which may be extended for a period of six months with the concurrence of the Commission''.

2. In rule 12-A,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Direct recruitment on the post of Commercial Tax Inspector and Taxation Assistant from Clerical Services through limited Competitive Examination'';

(ii) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) According to the scheme mentioned in Schedule-V, there shall be held a limited competitive examination through the agency determined by State Government or Appointing Authority every year to fill the vacancies for the post of Commercial Tax Inspector and Taxation Assistant in the Office of Commissioner, Commercial Tax and its Subordinate Office on such dates and places, as "Appointing Authority'' or determined agency may determine.''.

3. For Schedule-I, Schedule-II, Schedule-III and Schedule-IV, the following Schedules shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE—I

(See rule 5)

Classification of Service, Pay Scale and Number of Posts included in the Service

S. No. (1)	Name of the posts included in the service (2)	Pay scale (3)	Name of service and classification (4)	Total No. of post (5)
1	Commercial Tax Inspector	5200-20200+ Grade pay 2800/-	Madhya Pradesh Sub-ordinate Taxation Service (Class III-Executive).	534
2	Assistant Statistical Officer	9300-34800+ Grade pay 3600/-	Madhya Pradesh Sub-ordinate Taxation Service (Class III-Executive).	1
3	Taxation Assistant	5200-20200+ Grade pay 2800/-	Madhya Pradesh Sub-ordinate Taxation Service (Class III-Executive).	488
4	Assistant Programmer	9300-34800+ Grade pay 3200/-	Madhya Pradesh Sub-ordinate Taxation Service (Class III-Executive).	18

"SCHEDULE—II

(See rule 6)

Method of recruitment

Name of the Administrative Department (1)	Name of the Service (2)	Name of the post/cadre (3)	Total No. of post/cadre (4)	Percentage of post to be filled By direct recruitment (5)	By promotion (6)	By selection form Ministerial Staff (7)
Commercial Tax Department	Madhya Predesh Sub-ordinate Taxation Service (Class III-Executive)	Commercial Tax Inspector.	534	75 percent	-	25 percent
		Assistant Statistical Officer.	1	-	100 percent	-
		Taxation Assistant.	488	75 percent	-	25 percent
		Assistant Programmer.	18	100 percent	-	-

SCHEDULE—III

(See rule 8)

Age and Qualification required for direct recruitment

Name of the Administrative Department (1)	Name of Service (2)	Name of post to be fill up by direct recruitment (3)	Minimum age limit (4)	Maximum age limit (5)	Essential Educational Qualification (6)
Commercial Tax Department	Madhya Pradesh Sub-ordinate Taxation Service (Class III-Executive)	Commercial Tax Inspector	21 years	40 years	Graduate from any recognized University.
		Taxation Assistant	21 years	40 years	Graduate in Commerce from any recognized University.
		Assistant Programmer	21 years	40 years	BCA or Graduate Degree in Information Technology/ Computer Science from any recognized University.

SCHEDULE—IV

[See rule 6(1) and rule 14]

Name of the Administrative Depattment/ Service (1)	Name of the post/cadre from which promotion is to be made (2)	Name of the post /cadre to which promotion is to be made (3)	Minimum exeperience for promotion (4)	Name of Members of Departmental Promotion Committee (5)
Commercial Tax Department/ Madhya Pradesh Sub-ordinate Taxation Service (Class III-Executive)	Commercial Tax Inspector	Assistant Commercial Tax Officer	5 years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or any member nominated by him- **-Chairman** 2. Principal Secretary/ Secretary, Commercail Tax- **-Secretary** 3. Commissioner, Commercial Tax, Madhya Pradesh- **-Member.** 4. Representative of Scheduled castes/ Scheduled Tribes or any Office of similar category-**Member.**
	Taxation Assistant	Assistant Commercial Tax Officer	5 years	
	Computer	Assistant Statistical Officer	5 years	1. Additional Commissioner (Administration)- **-Chairman.** 2. Deputy Commissioner (Head Quarter)- **-Secretary**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				3. Assistant Commissioner (Head Quarter) -**Member**.
				4. Representative of Scheduled castes/ Scheduled Tribes or any Officer of similar category -**Member.**".

4. (i) In Schedule-V, under the scheme, for clause 4, the following clause shall be substituted, namely:—

"**4. Examination**—(a) Written Examination shall be conducted through the agency determined by the State Government or Appointing Authority every year, on such dates and at places as Appointing Authority or authorised agency may determine;

(b) in the written examination there shall be two papers each of 100 marks for the period of 2.30 hours. At least 50 percent marks in each paper must have to be obtained for being successful in the examination;

(c) Question papers shall be prepared by the authorized agency by the State Government or Appointing Authority or by the officers nominated by the State Government or Appointing Authority."

First Question Paper

General knowledge, General Hindi and Elementary Maths.

Second Question Paper

(1) General Rules of Government Service.

(2) Knowledge of various Acts, prevalent rules, regulations and glossary used in the department.

(3) Knowledge of Acts, rules, bye Laws, manual etc. Relating to functioning of the department.

(4) Details of the syllabus for question paper is written in the enclosed annexure. Examination shall have only objective type question.

(5) The candidates who fulfill the qualification specified above in Para 2 shall be eligible for admission in the examination. The agency determined by State Government or Appointing Authority shall invite applications from the candidates who desire to be admitted in the examination at least a month before from the date fixed for the examination. The candidate who found to be eligible for admission in the examination shall be informed about the date, place and time etc. of the examination.

(6) Answer sheet shall be valuated by the agency determined by the State Government or Appointing Authority or by the officers, nominated by the State Government or Appointing Authority.

(7) List of such candidates who have obtained 50% or more marks in each question paper shall be prepared by the agency determined by the State Government or Appointing Authority or by the officers nominated by the State Government or Appointing Authority. The selection list shall be valid for a period of one year from the date of its issue, which may be extended for a period of six months with the concurrence of State Government.

(ii) In clause (5), for sub-clause (2), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(2) Out of 40 marks for each years character role, every candidate shall be given the marks as shown below:—

Outstanding	:	40
Very good	:	30
Good	:	20
Average:	:	10";

(iii) For the existing Annexure, the following Annexure shall be substituted, namely:—

Question paper—1

Max. marks 100

(1) General knowledge:— **(30 Marks)**

Objective type questions on current events, history of India, Geography of India relevant incidents general information regarding the State of Madhya Pradesh.

(2) General Hindi:— **(30 Marks)**

Objective type questions on General Hindi Grammar up to High School level meaning and. application of general words and its alternatives.

(3) Elementary Math:— **(40 Marks)**

Objective type questions of Multiplication, division decimal system, percentage, profit and loss, average, area, volume and ratio proportion.

Question paper—2

Max. marks 100

(1) General knowledge relating to Rules of Government Service:— **(40 Marks)**

Objective type questions on Pay, Allowances, Leaves, General Provident Fund, Recruitment Rules Knowledge about the Conduct Rules.

(2) Knowledge of words and terminology used in the department:— **(20 Marks)**

Objective type questions on various words generally used in the department which have specific meaning in the department and knowledge of that words are necessary for department.

(3) Knowledge of Acts and Rules relating to department:— **(40 Marks)**

Objective type questions on knowledge of the various Acts and rules with which the work of the department is carried out.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.